न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 218/15

तारीख रजू– 21/12/2015

नश्याम पुत्र बदरी जाति मीना निवासी ग्राम भूखा तहसील मलारनाडूंगर।

--अपीलार्थी

बनाम

रकार जरिये तहसीलदार,मलारनाडूंग।

------- रेस्पो0

निर्णय

दिनांक–19/05/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत ीलदार,मलारनाडूंगर द्वारा मिसल संख्या 348/15 मे पारित आदेश दिनांक 30/09/2015 के विरूद्व त की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम भूखा की आराजी खसरा नम्बर 223 रकवा 0.40 हैक्टर किस्म 0चरागाह पर संवत 2072 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि दखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व फसल जब्त कर नीलाम करने के साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने देश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा धीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व दालत मे रखा गया।

पीलार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थी ने ग्राम आराजी खसरा नम्बर 223 रकवा 0.40 हैक्टर किस्म गै0मु0चरागाह पर से अपना कब्जा हटा लिया पर कोई कब्जा नही है तथा इस बाबत जॉच करवाने हेतु निवेदन किया। इसके अतिरिक्त ने भविष्य मे अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण नही करने की सहमति भी जताई है तथा आराजी से कब्जा हटाने व भविष्य मे अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नही करने बाबत शपथ पत्र किया है।

ार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी की सजा निरस्त करने से पूर्व मोके की जॉच वे। यदि अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नही हो तो ही सिविल कारावास की सजा मायी जावे अन्यथा यथावत रखी जावे।

अपीलार्थी व पेरोकार सरकार को सुनने के पश्चात राजस्व लोक अदालत की भावना से अपील ांशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का थावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण तहसीलदार मलारनाडूगर को के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वंय मोके पर जाकर जॉच करे कि अपीलार्थी का राजी पर वर्तमान मे कब्जा रहा है अथवा नही। यदि वाद जॉच अपीलार्थी का कब्जा नही हो न निर्णय मे पारित सिविल करावास की सजा को निरस्त समझे अन्यथा स्थिति मे सिविल सजा का आदेश यथावत रहेगा।

आज दिनांक 19/05/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर